राजस्थान सरकार
tकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर
क्रमांक—एफ—2()पाशिनी/लेखा/बजट/2012—13//7/029 दिनांक:27/2/13
समस्त आहरण एंव वितरण अधिकारी
शिक्षा/प्रशिक्षण शाखा

विषय:— कोषालयों के माध्यम से विभिन्न रक्षा का लाभार्थियों का
आधार बैस भुगतान के क्रम में ।
प्रसंग:— शासन सचिव विभाग (बजट) का परिपत्र क्रमांक एफ.5(व—75)
कोष/आईएमएमएस/डिल्हाडी/22301—22600 दिनांक
19/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के संदर्भ में लेख है कि
उपरोक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

मुख्य लेखाधिकारी
राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्थान) विभाग

क्रमांक: एफ.5(व-75)कोष/IFMS/DCT/22301-22600 दिनांक 19/2/2013

परिपत्र

विषय:— कोषालयों के माध्यम से विभिन्न स्कीमों का लाभार्थियों को आधार बेचे भुगतान के क्रम में।

भारत सरकार द्वारा सरकार अन्य अन्य उद्योगों के बीच Direct Benefit Transfer योजना दिनांक 01.01.2013 से लागू की गई है जिसके तहत चयनित योजनाओं के लाभार्थियों को आधार भुगतान पुल (APB) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया जाता है। उक्त योजना माह अप्रैल 2013 से राज्य के सभी कोषालों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

इसी संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एकाधिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत किये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम से आधार भुगतान पुल (APB) को जोड़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिह्नित योजनाओं में “आधार” आधारित भुगतान अन्वेषण, अजीबे एवं उद्योग में सफलतापूर्वक किये जा रहे हैं।

इस योजना का राज्य के समस्त कोषालयों एवं आधार/वित्तंश अवधारणाओं के स्तर पर भी वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के साथ-साथ प्रारंभ किया जा सकता है। इस हेतु निम्न कार्यक धारा में सूचित की जा सकती हैः

1. लाभार्थियों के विभिन्न योजना के उपलब्धता

   (i) आधार के माध्यम से भुगतान हेतु लाभार्थियों का मास्टर डेटा पे-मैनेजर साइट http://paymanager.raj.nic.in पर उपलब्ध पार्सेट में इन्डेक्स किया जा सकता है।
   (ii) यदि विभाग के पास एक ही योजनाओं के लाभार्थियों का संपूर्ण विभिन्न डेटा उपलब्ध है तो पे-मैनेजर की आईडी पर अप्लाइ भी किया जा सकता है।

2. लाभार्थियों के बैंक खातों व आधार नंबर की सीखियों

   (i). संबंधित आधार वितरण को अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के आधार रंग का उनके बैंक खाते से सीखियाँ कराने हेतु डेटानेशन बैंक को मैपिंग/सीखियो फाइल उपलब्ध करवाई जा सकती है। डेटानेशन बैंक यह बैंक है जिसमें लाभार्थियों के बैंक खाते है और इसके लाभार्थियों के मास्टर डेटा से भी मैपिंग/सीखियो फाइल बनाई जा सकती है।
   (ii) इस हेतु पे-मैनेजर साइट पर उपलब्ध लाभार्थियों के मास्टर डेटा से भी मैपिंग/सीखियो फाइल बनाई जा सकती है।
(iii)इस फाइल को आहारण/ वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर हस्ताक्षर कर बैंक को विशेष किया जाए।
(iv)बैंक द्वारा योजना पर संबंधित बैंक खाताओं हेतु नौकरिया फाइल पे-जेनरेटर पर उपलब्ध गूज़ बैंक के ऊपर नवीनित किया जाना जाना आवश्यक है।
(v)क्योंकि बैंक के सीधे अधिकारी द्वारा इस आपात का नौकरी-पत्र दिया जाना आवश्यक होगा कि उनके हस्त ये-जेनरेटर की साइट पर उपलब्ध नवीनित स्कीम के लागरिथ्मिकों के मास्टर बैंक को जाना कर ती गई है एवं ये सही पुाए गए हैं।

3. NPCI (National Payment Corporation of India) एन.पी.सी.आई से जरूर कोड या जुटर नेम प्राप्त किया जाने की प्रक्रिया—

(i)एन.पी.सी.आई से जोजनाराम, जिलाधिकारी, लोकार्थी, युग्म कोड एवं युग्म नेम दिया जाए।
(ii)इस रूप में जिला स्तर पर एक नौकरी अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है।
(iii)एन.पी.सी.आई से द्वि-वर्ग यूजेर स्पीडोज भुगतान प्रमाण पत्र खोज कर दिया जाए।
(iv)प्राप्त का नौकरी के लिए एक साधन है।
(v)एन.पी.सी.आई से जोजनाराम के तहत भुगतान करने वाले विभिन्न विभागों के आहारण वितरण अधिकारियों को गूज़ स्तर के प्राप्त का नौकरी नौकरी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
(vi)प्राप्त का स्तर से आधार कोड / उपकोड व आहारण वितरण अधिकारी की राजकीय लेन देन शेषु तत्काल बैंक शाखा से है।
(vii)एन.पी.सी.आई से जरूर कोड एवं युग्म नेम की सुचना की जी ओ स्तर कोयलार को दी जाएगी जो कोयलार द्वारा पे-जेनरेटर पर दाली जाएगी।

4. आधार के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्रक्रिया—

(i)आधार के माध्यम से भुगतान (APB) हेतु कोयलारों/उपकोयलारों को फाइल विश्वास के साथ पूर्व आहारण वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि लागरिथ्मिकों के बैंक खातों की संबंधित बैंक द्वारा आधार नाम्बर का साथ 2 दिन पूर्व सुनिश्चित कर ली गई है।
(ii)लागरिथ्मिकों के मास्टर डाटा में युग्म कोड, एवं एन.पी.सी.आई. द्वारा उपलब्ध कराया गया मास्टर नाम आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए जाना चाहिए।
(iii)आधार वैश्विक भुगतान हेतु यह आवश्यक है कि एन.पी.सी.आई. द्वारा दिये गये युग्म कोड एवं युग्म नाम के साथ सही आधार नाम्बर संबंधित बैंक को उपलब्ध कराये जाये तथा बैंक की साइट पर स्वतंत्र आधार नाम की सीडिंग की जानी है, की अच्छी तरह जाना जाये।
(iv) किसी भी प्रकार के गलत भुगतान अथवा फाइल रिजेक्शन (समस्या पर भुगतान नहीं होने) के लिए आहारण वितरण अधिकारी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

(v) आदेश वेस्ट भुगतान हेतु भी आहारण वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित कंपानी/उपकंपानी को आंगनवाड़ी विभाग के साथ फिलिप्स विभाग भी वत्सला प्रक्रिया की भागीदारी करने होगी। कंपानी/उपकंपानी आदेश वेस्ट भुगतान हेतु भी वत्सला प्रक्रिया के अनुसार फाइल जोनेट करनी होगी, लेकिन आदेश वेस्ट भुगतान हेतु प्रत्येक विभाग के लिए अलग फाइल बनानी होगी।

(vi) आदेश के ग्राहक से भुगतान हेतु समन्वित विभागों के खाते से राजश्री लेने देन हेतु अधिकृत एक्सिस्टेंट बैंक में हैं अथवा अन्य बैंकों में अथवा इंडिया एस. एण्ड एन. ई.एफ. द्वारा हेतु एक ही बिल बनाया जाएगा एवं कंपानी की सभी समस्या आदेश के ग्राहक से भुगतान हेतु उपलब्ध विभाग का प्रयोग किया जाएगा।

अतः एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) के ग्राहक से कंपानी की सभी समस्या पर किए जाने वाले आदेश वेस्ट भुगतान करने हेतु उपलब्ध कम्प्यूटर गई सूची का अंशिक दस्तावेज उपयोग किया जा सकता है।

(अधिकृत चिह्नित)

शासन सचिव विभाग (बजट)

क्रमांक: एफ.5(च-75)कोक्ष/IFMS/DCT/2230/-22600 दिनांक 19/2/2013

प्रमितिप्रमाण: निर्देशित को सूचनाभारत समस्या आदेश प्रमितिप्रमाण 1.

1. समस्या अधिकृत कंपनी/उपकंपनी की सूचना राजश्री/शासन सचिव।
2. ग्राहक महाशीलकार (लेखा एवं हंड/विभिन्न लेखा परिवर्तन/वाणिज्यिक एवं प्राप्त लेखा परिवर्तन) राजस्थान, जयपुर।
3. समस्या विभागवाहिनी।
4. राजस्थान संबंधी आयुक्त/जिला कांग्रेस।
5. उप शासन सचिव, गुजरात सचिव, राजस्थान।
6. निदेशक कोशी एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
7. राजस्थान संबंधी अधिकारी, एन.आई.एस.। संविधानवाल जयपुर।
8. समस्या विभागवाहिनी/उपकंपनीवाहिनी राजस्थान की प्रेरणा कर लेख है कि आदेश वेस्ट भुगतान हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए आहारण वितरण अधिकारी को सूचित करें।
9. श्री रामभर तिवारी, एन.आई.एस.। जयपुर, जयपुर।
10. सि.एम.एन.एस्ट्रे, विभाग विभाग को प्रेरणा कर लेख है कि उक्त परिप्रेक्ष्य को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव